

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 31/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. किशन आत्मज लक्ष्मण माली ना0बा0बे0 जरिये माता मांगी बाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पंकज आत्मज लक्ष्मण माली ना0बा0बे0 जरिये माता मांगी बाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी बाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भुरालाल आत्मज हजारी माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शान्तिलाल आत्मज हजारी माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बशीलाल आत्मज देवीचन्द माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायणसिंह आत्मज सोहनसिंह राजपुत निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरू आत्मज उदा माली निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 13.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तौलास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 295 रकबा 0.32 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 25 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 295 के चारों तरफ सीमा संबंधी के कोई मुस्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के चारों तरफ के पड़ोसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 05.01.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा हैं। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.19 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 21.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है

तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम तौलास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 295 रकबा 0.32 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 25 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/- अक्षरे दौ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा